आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी सहित
2	3

न्यायालय, उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर मेदिनीनगर

दाखिल–खारीज अपील वाद सं0–XV/09/2017–18

सुरेश कुमार गुप्ता एवं अन्य ———— अपीलार्थी

बनाम

भोला प्रसाद गुप्ता ———— विपक्षी

P.N 612

P.N 622

P.N 692

आदेश

19.6.2024.

यह दाखिल–खारीज अपील वाद विद्वान अंचल अधिकारी पांकी द्वारा दाखिल–खारीज वाद सं0 389/2009–10 में दिनांक 14.07.2009 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जिस आदेश के द्वारा मौजा–सरईडीह, थाना–पांकी के खाता नं0 01 प्लौट नं0 520 रकबा 10 डी0 भूमि के साथ प्लौट नं0 148 रकबा 07 डी0 भूमि का दाखिल–खारीज स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी का दावा मौजा–सरईडीह के खाता नं0 01 प्लौट नं0 148 रकबा 07 डी0 भूमि पर है। अपील अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख की मांग की गयी तथा विपक्षी को सूचना निर्गत की गयी। मेमो ऑफ अपील की बिन्दुओं पर अंचल अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन की भी मांग की गयी। अंचल से न तो अभिलेख प्राप्त हुआ और न जॉच प्रतिवेदन ही प्राप्त हुआ।

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी का अपील अर्जी एवं विपक्षी द्वारा दाखिल लिखित बहस का अवलोकन किया।

अपीलार्थी का दावा है कि दामोदर साव उर्फ दमडी साव एवं कृष्णा प्रसाद को मौजा–सरईडीह के खाता नं0 01 प्लौट नं0 148 अन्तर्गत कुल रकबा 34 डी0 भूमि प्राप्त थी। अपीलार्थी को दामोदर साव एवं कृष्णा प्रसाद से 20 डी0 भूमि दिनांक 17.12.1993 को निबंधित केवाला से प्राप्त है किन्तु अपीलार्थी के नाम से दाखिल–खारीज वाद सं0 275/95–96 से मात्र 14 डी0 भूमि का ही दाखिल–खारीज किया गया, क्योंकि कुल रकबा 34 डी0 में से 20 डी0 भूमि का दो व्यक्तियों को बासगीत पर्चा दे दिया गया है। इस प्रकार प्लौट नं0 148 में कोई भूमि नहीं बचती है जबकि दामोदार साव ने दिनांक

पलामू जिला अधिवक्ता कल्याण कोष,

28.08.1995 को प्लौट नं0 148 में रकबा 07 डी0 भूमि विपक्षी को बिक्री कर दि
जिसके आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा विपक्षी के नाम से दाखिल-खारीज पर
389/09-10 से दाखिल-खारीज स्वीकृत कर दिया गया है। दाखिल-खारीज
करने के पूर्व अपीलार्थी को न तो सूचना निर्गत की गयी और न उचित ढंग से
का ही प्रकाशन कराया गया। अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैध एवं निरस्त
जाने के योग्य है।

जबकि विपक्षी का दावा है कि दामोदार साव एवं कृष्णा प्रसाद गुप्ता को प्लौ
नं0 148 में 34 डी0 भूमि संयुक्त रूप से प्राप्त थी। अपीलार्थी के साथ 20 डी0 भूमि बिक्री
करने के पश्चात् 14 डी0 भूमि बचती है। 14 डी0 में से अपने हिस्सा की 07 डी0 भूमि
दामोदर साव ने विपक्षी को बिक्री किया है, जिसके आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा
नियमानुसार जाँचोपरान्त दाखिल-खारीज स्वीकृत किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप करने
का कोई आधार नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा दाखिल दाखिल-खारीज वाद सं0 389/2009-10 में पारित
आदेश एवं हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति के
अवलोकन से पता चलता है कि दाखिल-खारीज आदेश पारित करने के पूर्व न तो आम
इश्तेहार का प्रकाशन हुआ है और न प्रश्नगत् भूमि की दखल-कब्जा के बिन्दु पर स्थलीय
जाँच ही की गयी। अपीलार्थी के अनुसार दो व्यक्तियों को प्रश्नगत् प्लौट में बासगीत
द्वारा भूमि दी गयी है किन्तु दाखिल-खारीज आदेश में इसका कोई उल्लेख नहीं है।
अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश नियमानुसार प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में
अंचल अधिकारी पाकी को निदेश दिया जाता है कि वे प्रश्नगत् भूमि की स्थलीय जाँच
करने तथा दोनों पक्षों को सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से आदेश पारित
करना सुनिश्चित करें

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी पाकी को अनुपालनार्थ भेजें।

इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

उप समाहर्ता,
भूमि सुधार, सदर मेदिनीनगर।

उप समाहर्ता,
भूमि सुधार, सदर मेदिनीनगर।

Digitally signed by Pyare Lal
Date: 2024.07.25 04:10:47 -07:00
Location: 192.168.134.181